

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 690/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 08.11.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—राजू उर्फ राजवीर गौड़ उम्र 38 वर्ष पुत्र श्रीभगवान
गौड़ निवासी ग्राम छेंकुरी थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 354, 323 तीन शीर्ष, 506 भाग दो भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 04-09-2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 29.08.16 की शाम लगभग 5 बजे अभियोक्त्री के घर स्थित ग्राम छेंकुरी में सार्वजनिक स्थल पर अभियोक्त्री को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षाम कारित करने, अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित करने, अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं दिनांक 30.08.16 को शाम 5 बजे अभियोक्त्री के घर ग्राम छेंकुरी में अभियोक्त्री के पति आहत इन्द्रनरेश एवं श्यामू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 354, 506 भाग दो, एवं 323(तीन शीर्ष) के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.16 की शाम 5 बजे अभियोक्त्री अपनी सास सुशीलादेवी के साथ घर पर अकेली थी उसका पति इन्द्रनरेश दिल्ली टावर में काम करता है। अकेली जानकर उसका जेठ आरोपी राजवीरसिंह आया था और उससे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा था। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया था तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया एवं उसकी साड़ी खींच दी थी। वह चिल्लाई थी तो

उसकी सास आ गयी थी एवं आरोपी भाग गया था। फिर उसने अपने पति को फोन करके दिल्ली से बुलाया था तो उसका पति दिनांक 30.08.16 को आया था उसने आरोपी से अभियोक्त्री की मारपीट करने के संबंध में कहा था तो आरोपी ने इन्द्रनरेश एवं श्यामू की भी मारपीट की थी। मौके पर भगवानदास गौड़ एवं गुट्टे कुशवाह ने उसका बीच बचाव कराया था। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध पर पुलिस थाना मौ में अप0क0 176/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

03. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

04. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान अभियोक्त्री एवं आहत इन्द्रनरेश व आहत नाबालिग श्यामू की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि पिता इन्द्रनरेश द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी राजू उर्फ राजवीर को भा0द0स0 की धारा 294, 323 (तीन शीर्ष), एवं 506 भाग दो के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 354 के अंतर्गत विचारण शेष है।

05. द0प्र0स0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

06. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.08.16 को शाम लगभग 5 बजे अभियोक्त्री के घर स्थित ग्राम छेकुरी में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया ?

07. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी डॉ0 राहुल भदौरिया अ0सा01 अभियोक्त्री अ0सा02 एवं इन्द्रनरेश गौड़ अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

08. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 29.08.16 को वह तथा उसकी सास सुशीला देवी घर पर अकेली थी तो आरोपी राजवीर गौड़ उसके घर पर आकर उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा था। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया था तो आरोपी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। उसने यह बात अपने पति को फोन करके बतायी थी। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी जो प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने

अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था उसे जमीन पर पटक दिया था एवं उसकी साड़ी खींच दी थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-2 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखाई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसे प्र0पी-2 की रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी उसने सिर्फ हस्ताक्षर किए थे।

09. आहत इन्द्रनरेश गौड़ अ0सा03 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि ६।१८.२०१० उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले की है। वह उस समय दिल्ली में काम कर रहा था उसकी पत्नी ने उसे फोन करके बताया था कि उसका उसकी मां और भाई राजू से झगड़ा हो गया है। उक्त साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे उसकी पत्नी ने आरोपी द्वारा उसे पकड़कर जमीन पर पटक देने एवं उसकी साड़ी खींच देने वाली बात बतायी थी।

10. डॉ० राहुल भदौरिया अ0सा01 द्वारा आहत सुमन की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-1 को प्रमाणित किया गया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

12. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोक्त्री एवं आहत इन्द्रनरेश तथा श्यामू द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिए जाने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा०द०स० की धारा 294, 323 (तीन शीर्ष) एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा०द०स० की धारा 354 के अंतर्गत विचारण शेष है।

13. उक्त संबंध में अभियोक्त्री अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन आरोपी ने उसका झगड़ा हो गया था एवं आरोपी ने उसे गालियां भी दी थी तथा थप्पड़ मार दिया था एवं यह बात उसने अपने पति को फोन करके बतायी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था एवं उसकी साड़ी खींच दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-2 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखाई थी।

14. आहत इन्द्रनरेश अ0सा03 जोकि अभियोक्त्री का पति है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसकी पत्नी ने फोन करके उसे उसकी मां तथा राजू से झगड़ा होने वाली बात बतायी थी उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि उसकी पत्नी ने उसे आरोपी राजू द्वारा जमीन पर पटकने एवं उसकी साड़ी खींचने वाली बात बतायी थी।

15. इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा02 एवं इन्द्रनरेश अ0सा03 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने से इंकार किया गया है। स्वयंअभियोक्त्री अ0सा02 द्वारा

इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने झगड़े के दौरान उसका हाथ पकड़ा थी एवं उसकी साड़ी खींच दी थी। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा02 एवं इन्द्रनरेश अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने के तथ्य से इंकार किया गया है। शेष साक्षी डॉ0 राहुल भदौरिया अ0सा01 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी साड़ी खींचकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

16. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 29.08.16 को शाम लगभग 5 बजे अभियोक्त्री के घर ग्राम छेंकुरी में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजवीर गौड़ को साक्ष्य के अभाव में भा0द0स0 की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

18. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक :-04.09.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)